फर्द अहकाम

उप० खण्ड सांगानेर

गंगाराम बनाम गंगाराम गौड

मुकदमा /वर्ष 72/2023 : /20

तारीख आज्ञा कार्यवाही	अवस्था विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी की तामील विधिसम्मत होना नहीं पाया जाता है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तामील रजिस्टर्ड एडी तामील पेश करे। पत्रावली दि० 9/5/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
9/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तामील रजिस्टर्ड एडी तामील पेश करने हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दि० 16/5/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
16/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। धारा 9-I वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी व पत्रावली का अवलोकन करने पर मूल वाद के निस्तारण तक अपीलार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम मानपुर देवरी पटवार हल्का कल्याणपुरा तह० व सांगानेर स्थित ख० नं० 88, 89, 90, 91, 92 कुल किता 5 कुल रकबा 1.67 बीघा भूमि व रिहाई की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज दफ्तर से आज मेवा तामील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	